नम्बर / वर्ष 03/2023 अनवानी पतराम बनाम सुन्दर

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
9/9/25	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 192 पर सुनी गई। प्रार्थी मंगलाराम के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र 192 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी व उसके भाईयों द्वारा तथा प्रार्थी की माता दाकोरी उपरोक्त अनवान में वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 , 188 आरटीएक्ट के तहत पेश किया जो दिनांक 21.06.1999 रेस ज्यूडिकेटा मानकर दिनांक 21.05.1999 को खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ पेश की गई जो दिनांक 23.06.2000 को खारीज कर दी गई जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई जिसे दिनांक 12.09.2000 को खारिज कर दी गई जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में की गई जो दिनांक 08.12.2009 को स्वीकार की जाकर उक्त तीनो निर्णयों को खारिज किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 के पति 2 के पिता ईशरराम ने वाद भूमि में रतिराम पुत्र रावताराम ने खातेदारी सनद प्राप्त करने के लिये न्यायालय हाजा में धारा 193 आरटीएक्ट को पेश किया गया जो दिनांक 08.07.1968 को खारिज हुआ जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी में प्रथम अपील हुई जो दिनांक 22.07.1969 को खारीज की गई द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में की गई जो दिनांक 06.10. 1971 को आशिक स्वीकार कर न्यायालय हाजा को रिमाण्ड की गई जिस पर पुन सुनवाई की जाकर दिनांक 15.09.1980 को रतीराम का प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश दिनांक 08.07.1968 को बहाल रखा जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में प्रथम अपील पेश की जो दिनांक 30.04.1991 को खारीज की जाने पर द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जो दिनांक 12.03.1987 को खारीज कर दी गई। रतिराम प्रार्थी के पिता ने धारा 88 ,188 आरटीएक्ट का एक वाद पेश किया जिसका जबाब दावा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश किया जिसके आधार पर वाद दिनांक 21.05.1999 को खारीज कर दिया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के पेश की गई जो दिनांक 12.09.2000 को खारीज फरमा दी गई जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में की गई जो दिनांक 08.12.2009 को स्वीकार की गई और उपखण्ड अधिकारी नोहर का आदेश दिनांक 21.05.1999 राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 23.06.2000 व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय दिनांक 12.09.2000 तीनो को खारिज करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड कर दिया गया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के यहा अनवानी वाद संख्या 2011/00279 (120/11) पतराम बनाम सुन्दर जैरकार है व प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया जिसमें यथास्थिति के आदेश पारित किये गये थे जो प्रार्थीगण के पक्ष में है इसके अतिरिक्त न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत अपील चन्द्रावली ... जिसमें भी रिकार्ड व मौका की यथास्थिति का आदेश है उक्त ... चन्द्रावली द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या ... है इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी में अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी अपील में स्थगन व अन्य ...विवाद का ज्ञान होते हुए न्यायालय हाजा को धोखा में रखकर चन्द्रावली बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88 ,193 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर वाद भूमि रोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा 9 जीजीएम की 11.3850हैक का अप्रार्थी संख्या 2 को गेरखातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करने की जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने तहसीलदार के पैमाने पर मिली भगत कर उक्त विवादो को नही बताया गया और कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का बताया गया जबकि यह तथ्य विभिन्न न्यायालयों में जैरकार वाद में विवाद्यकों से तेय होनी थी अप्रार्थी चन्द्रावली के पक्ष में उसको लाभ पहुचाने की नियम से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने के उदेशय से प्रस्तुत किया गया है स्थगन आदेश होना नही बताया गया जबकि चन्द्रावली स्वय ने स्थगन आदेश ले रखा है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित कर दिया और चन्द्रावली को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया चन्द्रावली ने वास्तविक तथ्य न्यायालये छुपाये गये है

मातहत अदालत ने गलत तरीके से माननीय राजस्व मण्डल मे जैरकार स्थगन के रहते व उपखण्ड अधिकारी स्वय के द्वारा जारी स्थगन के तथा विभिन्न न्याायलय में 45 सालो से विवाद को दर किनार कर अप्रार्थी संख्या 1 से मिली भगत कर उसे लाभ पहुचाने के उदेश्य से कानून की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री खातेदारी की प्राप्त की गई है अप्रार्थी ने विभिन्न न्यायालय में वाद /स्थगन आदेश को छुपाया जाकर एव गलत झुठे तथ्य पेश कर निर्णय पारित करवा गया है दस्तावेजात व निर्णय तथा स्थगन आदेश को छुपाते हुए विवादग्रस्त भूमि का अपने को खातेदार घोषित करवाया गया है जो धारा 192 भारतीय दण्ड संहिता की जद में आता है अप्रार्थी के उक्त कृत्य के लिये 3 वर्ष के सिविल कारावास के लिये दोषी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी चन्द्रावली को न्यायालय हाजा के समक्ष झुठे तथ्य प्रस्तुत करने व अनेक निर्णय व स्थगन आदेश को छुपाने के अपराध में धारा 192 दण्ड संहिता के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी चन्द्रावली के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थीया बुजुर्ग ग्रामीण औरत है जिसके नाम से विवादित भूमि गैरखातेदारी दर्ज है और उन्होने खातेदारी करवानी चाही तो न्यायालय हाजा में वाद पेश करने पर दिनांक 22.07.2022 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जिसके तथ्यों की जानकारी होने पर दिनांक 30.08.2022 को पेरोकार राज ने न्यायालय में रिब्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे दिनांक 30.08.2022 को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.07.2022 को निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील प्रार्थीया के द्वारा नही की गई है अप्रार्थीया को कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नही होने के कारण कार्यवाही की गई है प्रार्थीया ने ऐसा कोई अपराध नही किया जिससे उसको सजा से दण्डित किया जावे प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन /निर्णय प्रकरणों को उल्लेख किया जाकर अप्रार्थी चन्द्रावली ने न्यायालय से तथ्यो को छुपाकर खातेदारी प्राप्त करने पर धारा 192 भारतीय दण्ड संहिता को प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रथम तो जिस आदेश दिनांक [illegible]022 से अप्रार्थीया चन्द्रावली के द्वारा खातेदारी अधिकार [illegible] किये गये थे वह न्यायालय के संज्ञान में [illegible] दिनांक 22.07.2022 को रिब्यू किया जाकर दिनांक 30.08.2022 को नि[illegible]त किया जा चुका है प्रार्थी जिस निर्णय का आधार मानकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया वह न्यायालय के संज्ञान में लाये जाने पर निरस्त होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र कोई औचित्य नही रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है फिर भी प्रार्थी को किसी प्रकार ऐतराज है तो वह स्वय समक्ष न्यायालय में चाराजोही करता जो प्रार्थी के द्वारा नही की गई है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 192 दण्ड सहिता के तहत पेश कर अप्रार्थीया चन्द्रावली को दण्डित करने का निवेदन किया गया है जबकि धारा 192 दण्ड संहिता में सजा का प्रावधान नही है प्रार्थी का प्रार्थना तथ्यहिन एव जिस निर्णय को आधार मानकर पेश किया गया है वह निरस्त किया जा चुका है एव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 192 दण्ड संहिता के तहत मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज किया जाता है निर्णय आज दिनांक 09/09/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested